

# FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत

कलेक्टर

मुकाम

बांटीकुई

दरसंख्या ..... वनाम ..... रामराम वार्ड .....  
 मुकदमा नं. 128 फर्दार्ति - 128 L.P Act नं. 246/2021 तारीख 2-8-21

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इमिथियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

13/5/21 पत्नी पेश हुई तबील जामि उपर उल्लेखित करवा, मुद्रा आदि व पत्वार हक रिपोर्ट खास हक शामिल पत्नी है पत्नी पेश के रिपोर्ट हड शब्दीय अंक कदालत-2021 में डि० 145 22 के पेश है।

उप खण्ड अधिकारी (दौसा) बांटीकुई

14/5/21

पत्नी का पेश शब्दीय अंक कदालत 2021 में पेश हुई। जामि डाय जामि कदालत-खास 128 L.P Act इस काम में पेश किया कि जामि खास में नं. 50 पुम 49 के ख. नं. 112, 166, 251, 392, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 341, 58/372, 59, 60 कुल मिला - 14 कुल करवा 4-48 है जो जामि-पीपली का पास रहे करवा जामि में स्थित है जामि का कमान है कि उपरोक्त जामि में ख. नं. 302 करवा 0-1500 हेक्टर का क्षेत्र का जामि की जामि के जामि-पास के जामि का जामि कारण जामि की जामि के जामि की कोषि में लगे रहते हैं जामि दिन खेत के मध्य बनी हुई जामि, जामि को लगे रहते हैं जिससे जामि दिन जामि-फिसाद हो रहा है तथा जामि कारकाट क्षेत्र की जामि जामि हो जाये है कि: जामि जामि ख. नं. 302 की जामि पर जामि की जामि पत्नी करवा जामि जामि है कि: जामि जामि

तारीख  
द्वयम

पुनर्पत्र क्र. 152 के अंतर्गत  
द्वयम या कार्यवाही मय इमिग्रेशन जज

की कोडे पर कार्य कर विमानत कार्यालय को  
कोडे पर ही पत्थरगारी करवायी जाये के  
लिए निर्देश पत्रांक है।

सं. 302 रकबा 0-15 है किन्तु करवायी  
एवं उक्त के संबंध के लक्ष्मीनारायण कनका  
पुत्र आ. निरीक्षण व सखारी हत्या रिपोर्ट का  
अवलोकन किया। लक्ष्मीनारायण कनका से प्राप्त  
रिपोर्ट के अनुसार ग्राम - पीपली का कस  
जकाबेदी संवत् 2074-77 में खाल से 50  
किग्रा - 14 रकबा 4-4B है। स्वसहाय पुत्र  
बिरदना सुपर के नाम पर रिपोर्ट है। सं. 302  
रकबा 0-15 है किन्तु करवायी  
-1 की पत्थरगारी करवाना चाहता है जिसका  
लक्ष्मीनारायण कनका के कोडेम डि. 13.7.2024  
की प्रालन के डि. 27/7/24 को सी. प्रालन  
करवा दिया गया है। प्रार्थना का कोडे पर  
कोडेम कल्या है एवं कोडे पर बिकाउ है।  
अतः पुलिस जासा व संक्षम अधिकारी की  
इजाजत में ही पत्थरगारी करवायी जा सकती  
है।

अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों  
संबंध लक्ष्मीनारायण कनका के प्राप्त रिपोर्ट के  
आधार पर ग्राम पीपली का कस 50  
कसबा खाल से. मया - 50 पुत्रांक 49 के  
सं. 302 रकबा 0-1500 है की  
पत्थरगारी किसे जाने के कोडेम पदान डि. 13  
जाते है। लक्ष्मीनारायण कनका निरमापुकार  
कोडेम कल्या है एवं कोडे पर बिकाउ है।  
अतः पुलिस जासा व संक्षम अधिकारी की  
इजाजत में ही पत्थरगारी करवायी जा सकती  
है। प्रालन हेतु लक्ष्मीनारायण कनका  
को लक्ष्मीनारायण कनका के निवास पर  
होकर काउ लक्ष्मीनारायण कनका को  
कोडेम डि. 14.05.24 को राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग


पुस्तक  
266  
2021

परमेश्वर या सरकार को

तारीख वस	पुस्तक क्र. नं. 128 LRA-4 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	---	--

- 2022 के (दोनाम जमा)



  
न्यायिक अधिकारी  
राष्ट्रीय लोक अदालत

सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत